

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
दुर्गापुरा-जयपुर


क्रमांक एफ (1)/राकृअसं/स्था./गुप-2/म.लैं.उ.अ./2014/1431-38 दिनांक: 28.07.2014

कार्यालय आदेश

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के अधिनस्थ कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की अनुपालना में एक समिति का गठन किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है:-


- | | | |
|--|--------|----------------|
| 1. श्रीमती रानी सक्सैना, आचार्य | सभापति | (M) 9462350492 |
| 2. श्रीमती सुमनलता सिसोदिया, क्लर्क II | सदस्य | (M) 7737218824 |
| 3. श्री सुरेश कुमार गुर्जर, आर्टिस्ट | सदस्य | (M) 9314023125 |

उपरोक्त अधिनियम की अनुपालना में संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारी अपनी शिकायत समिति को दर्ज करवा सकते हैं।


निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् निजी सचिव द्वारा कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान् कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के पत्र प्राप्ति पंज़िका संख्या 2114 दिनांक 17.07.2014 के संदर्भ में।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं परियोजना प्रभारी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर।
4. श्रीमती रानी सक्सैना, आचार्य, शस्य विज्ञान शाखा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर।
5. श्रीमती सुमनलता सिसोदिया, क्लर्क II, पौध प्रजनन शाखा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर।
6. श्री सुरेश कुमार गुर्जर, आर्टिस्ट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर।
7. कार्यालय प्रति।


निदेशक